



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वर्ग)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।



Office of Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Website- www.pwd.uk.gov.in

Email- eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 596 /16 प्रशिक्षण/20

दिनांक- 22/09/2020

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
डॉ० रघुनंदन सिंह टोलिया,
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल।

विषय- "Urban Mobility Planning and Management in Hill Areas" विषय दिनांक-28 से 30 सितम्बर, 2020 के मध्य अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-742/XVII-15/2020-21 दि०-16.09.2020 के क्रम में दिनांक-28 से 30 सितम्बर, 2020 के मध्य अकादमी में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	फोन नं०
1	इं० दीपक गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, नैनीताल	9412094602
2	इं० धन सिंह कुटियाल, अधिशासी अभियन्ता	नि०ख०, लो०नि०वि०, नैनीताल	9412347904
3.	इं० आनन्द बल्लभ काण्पाल, अधिशासी अभियन्ता	अ०ख०, लो०नि०वि०, भवाली	9412977376
4.	इं० अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता	नि०ख०, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	7830202555
5.	इं० सुनील कुमार, अधिशासी अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, हल्द्वानी	9410160504

(अशोक कुमार) 22/9/2020

मुख्य अभियन्ता (अधि०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अकादमी के उक्त पत्र दिनांक-16.09.2020 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता,लो०नि०वि०,।
3. अधीक्षण अभियन्ता,वाँ वृत्त, लो०नि०वि०,।
4. इं०.....अधिशासी अभियन्ता प्रा०/नि०/अ०/रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,।
5. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून, को सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु।

संलग्न- यथोपरि।

मुख्य अभियन्ता (अधि०)



डॉ आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
नैनीताल - 263001
Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of
Administration
Nainital - 263001

Phone 235011, 236028
फोन 235011, 236028
Fax फैक्स 236733, 237642
E-Mail ई-मेल directoracademy@hotmail.com

प्रेषक,

निदेशक

डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल

सेवा में,

- | | | |
|--|--|---|
| 1. निदेशक
शहरी विकास,
31/62 राजपुर
रोड,
देहरादून | 2. पुलिस महानिरीक्षक
(ट्रेनिंग)
उत्तराखण्ड पुलिस
मुख्यालय
12, सुभाष मार्ग,
देहरादून | 3. प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण
यमुना कॉलोनी,
देहरादून,
उत्तराखण्ड |
| 4. परिवहन आयुक्त
कुल्हान सहस्त्रधारा
रोड देहरादून,
उत्तराखण्ड | 5. मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास
एवं नगर विकास
प्राधिकरण,
देहरादून | |

पत्रांक: 742/XVII-5/2020-21

दिनांक: 16-9-2020

विषय: "Urban Mobility Planning and Management in Hill Areas" विषयक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के सहयोग से दिनांक 28 से 30 सितम्बर, 2020 के मध्य अकादमी द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिये जायेंगे। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके विभाग में कार्यरत 5 (पाँच) वरिष्ठ अधिकारियों को नामित करने एवं अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यह प्रशिक्षण पूर्ण रूप से निःशुल्क एवं आवासीय है।

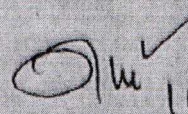
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों को दिनांक 27 सितम्बर की सांय अथवा 28 सितम्बर, 2020 की प्रातः अनिवार्य रूप से अकादमी में योगदान देना होगा। कोविड-19 के दृष्टिगत अकादमी द्वारा निर्धारित SoPs का पालन करना अनिवार्य होगा जिनके प्रमुख बिंदु निम्न है:

1. जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी कोविड-19 RT-PCR या Truenat Test रिपोर्ट जो चार दिन से अधिक पुरानी न हो, प्रशिक्षण से पूर्व उपलब्ध करानी होगी। प्रतिभागी हाई रिस्क श्रेणी में न आते हों यथा-गर्भवती महिलाएं, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग अथवा अन्य ऐसी कोई परिस्थिति जो हाई रिस्क की श्रेणी में आती हो। अकादमी आगमन पर प्रतिभागियों का पुनः गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा कोविड-19 के कोई भी लक्षण परिलक्षित होने पर उन्हें वापस किया जा सकता है।
2. अकादमी छात्रावास में सुरक्षा गार्ड /वाहन चालक को साथ रखने की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
3. प्रशिक्षुओं के पारिवारिक सदस्यों/आगन्तुकों को अकादमी परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी।
4. प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रतिभागी को अकादमी से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, अतः अपने प्रशिक्षण अवधि तक उपयोग की समस्त सामग्री लेकर आयें।
5. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त प्रोटोकाल/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अकादमी द्वारा मैस, चर्चा कक्षा, छात्रावास एवं पुस्तकालय हेतु तैयार की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रशिक्षुओं द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। अतः अपने साथ आवश्यक संख्या में मास्क लेकर आयें।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी हेतु श्री मनोज पाण्डे, प्रगारी-शहरी विकास प्रकोष्ठ/कार्यक्रम निदेशक (मोबाईल नं. 9897510978) से सम्पर्क किया जा सकता है। प्रतिभागियों की सूची अकादमी के फैंक्स संख्या 05942-237633/237642 अथवा ई-मेल urbandevp.uaoa@gmail.com पर प्रेषित की जा सकती है।

सिद्ध,

भवदीय,


(नवनीत पाण्डे)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपी:

निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विभागों द्वारा नामित अधिकारियों के RT-PCR / Truenat Test प्राथमिकता पर कराए जाने तथा प्रशिक्षण हेतु ससमय कार्यमुक्त करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1. आयुक्त कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड